

78

फर्द अहकाम

सुभाष बनाम दी वरमा

नाम न्यायालय A.C.M.(F.N.) शाहपुर

केस संख्या 48/15 उन: 221/20/6 शेवा 53/1882-19 (1)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/7/17	<p>आज मज मलावली शेवाव लोक अश्वत केस शाहपुर में पेश हुई। वही उक्त पक्ष उप -</p> <p>शका बारी खेत में हल प्रकार है कि आ. ख. न. 247/0-07, 248/0-20, 249/0-78 वही गाम किशरा तयसीव शाहपुर के आ. ख. न. 247 में 11/1992 हिस्सा, 248 में 28/29 हिस्सा, 249 में 357/458 काग. की बंदी करते दारी दल है। शेष हिस्सा उर्विवादीगण वही के जन शकत है। किने में दल है। उक्त हिस्से के अनुसार खातेदार माशतमांर है। वही, उर्विवादीगण अपने-2 हिस्से के अनुसार प्रथम-2 रूप ले मालिक रकबत माशत व उपयोग-अयोग करते आ रहे हैं। वही उर्विवादीगण के मजमू आब तक मोट माशगी बरबादा नही हुआ है। उर्विवादीगण उक्त मोट हिस्से में माश करते लगे। वही के उक्त आशपी से दो दखल करने की धमकी दी। वही आश उक्त कृषि मा बरबादा करने दल करने पर उर्विवादीगण ने मजमू के उगत हिस्से में रकबत इतफाकत नले की धमकी दी। जिसकारण बाद उक्त हिस्सा गमा। उक्त आशपी का शेवाव वही के किशानुसार बरबादा के शमा बाने।</p> <p>यतावली दल रदित 22 किमा जात उक्त पक्ष को सुना गया। दिनांक 19-5/6 को दवा उर्विवादीगण की किमा गमा। तयसीव शाहपुर से दिनांक 8/19/16 को बरबादा हिस्से उगत हुई। वही उर्विवादीगण ने</p>

सहायक कलक्टर
नायपालक मजिस्ट्रेट कार
शाहपुरा जिला-जयपुर

फर्द अहकाम

(1)

अहकाम वनाम शिवराम

आवालय (ACEM) शाखा

क्रमांक 48/1539-75 20/20/16 53.1882999

क्रमांक आका का कार्रवाई	आका विस्तृत रूप से	विलोप विवरण
<p>क्रमांक 13-7-19</p>	<p>दिनांक 26-9-17 को तदानीक शाखा के आठ बटवारा (विपों पर भाग) पेटा की। वही बटवारा आका भूखंड (ख) अ. 12 का अंशक पेटा किया। अर्थात् छंद वही बटवारा छंद को छुना गया। वही बटवारा आका इकाई का विक्रम पत्र के संख्या में भूखंड विधि के अनुसार तदानीक शाखा द्वारा बटवारा (विपों पर) नहीं की गई है। बटवारा (विपों पर) का छंद बटवारा (विपों पर) में विवेक किया। वही बटवारा आका बटवारा (विपों पर) अर्थात् के संख्या में तदानीक शाखा द्वारा भूखंड पर कब्जे भारत के आचार पर बटवारा (विपों पर) पेटा की गई है। पूर्व में क्वी अका का कोई बटवारा वही बटवारा (विपों पर) के अंश नहीं हुआ है। ना ही अका शाखा के अंश कोन सी क्वी वही के अंश के अंश में है। तदानीक शाखा द्वारा अंश बटवारा (विपों पर) नहीं पेटा की गई है। अतः आका आपत्ति शरीर किया जाय है। तदानीक शाखा में आठ बटवारा (विपों पर) अंश शाखा का अंश (विपों पर) में रवि अंश अनुसार पेटा की गई है। बटवारा (विपों पर) में क्वी को अंश 2 दर्शाया गया है। उचित सं-1 अका-11 द्वारा अपना क्वी अंश (विपों पर) में रवि को विक्रम पत्र दिनांक 8-1-2015 को उचित सं-12 मकसी वही अंश अंश-उचित (विपों पर) अंश अंश को बेमान कर दिया है। अंश अंश (विपों पर) में अंश नहीं हुआ है। बटवारा (विपों पर) में उचित सं-1 अका-11 के नाम अंश क्वी उचित सं-12 के नाम अंश। अंश उचित सं-1 अका-11 का नाम अंश कर अंश अंश में अंश क्वी उचित सं-12 नाम बटवारे में अंश।</p>	

आवालय (ACEM) शाखा
आवालय (ACEM) शाखा

15

फर्द अहकाम

सुनाप बनाम शिवराज

नाम न्यायालय **ACF MCF-7 शाहपुरा**
 केस संख्या **48/2015 डी.डी. 221/2016 शबा 53/188 P.7-18**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
137-17	137-17	<p>शबाबत बारा दिनों के अंतर्गत अतिम डिक्री किता जाता है। आ.ख-न-247/0-07, 248/0-29, 249/0-28 हेक्टर-बोने गजान किटोरि लक-शाहपुरा जमिंदारी के लक-खाते शरत के मध्य जमिन बेट बारा किया जाता है। इन्फेक्शन 2</p> <p>(1) सुनारी स-1 के बटवारे में आ.ख-न-248/1 रकबा 0-2100, 249/1 रकबा 7054 कुब्जा किला 2 रकबा 0-9154 किल्ला रहेगा।</p> <p>(2) पुरिबारी स-1 जमा-1 का नाम न लक करे उनके हिल्ले में आभी कजि पुरिबारी स-12 के जमिन बटवारे में आ.ख-न-247/0-07, 248/2/0-08, 249/2/0-0746 हेक्टर किला 3 रकबा 0-2246 हेक्टर-रहेगा।</p> <p>किपारे बटवारा व नपट्टा दे ल जमिन का हिल्ल रहेगा। व 4 कुलार शवल हिलाई में अमल शहाद किता जावे। पशुकाराग को स्वामी विवेकाला से पावन किता जावे है कि वे बटवारा अंतर्गत लक हिल्ल के लक करे में किसी प्रकार की मजबूती पेशा नही करे। पर्या डिक्री जारी हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया मलाबली प्रमल सुनाए होकर बाद तुरन्त दखिल दफतर रहे।</p>

सहायक कलक्टर
 नार्मलक मजिस्ट्रेट (फार्म)
 शाहपुरा जिला-जयपुर

१३
१३

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
(राजस्व लोक अदालत न्याय आपक द्वार 2017 कैम्प कोर्ट)

कैम्प का स्थान :- शाहपुरा दिनांक :- 13-7-2017
पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय, उपखण्ड अधिकारी (शाहपुरा)

(1) सुभाष गोमल पुत्र शम्भारीलाल - मन्दावन विवासी शाहपुरा तहशाहपुरा

- बनाम
- (1) दीलरमल पुत्र फूरा
 - (2) गुल्ली देवी पुत्री फूरा
 - (3) पत्तासी देवी पुत्री फूरा
 - (4) सानूराम
 - (5) शम्भूलाल] मि. सुरजमल
 - (6) रामजीलाल]
 - (7) चावली]
 - (8) गोठी] पुत्रीमा सुरजमल
 - (9) नानुडी]
 - (10) दोरी]
 - (11) गंगा देवी मनि सुरजमल
 - (12) भतासी देवी मनि मालूराम - गुर्रर
 - (3) उपपत्रिक शाहपुरा - जमपुर
 - (4) तहलीलदार तहसील शाहपुरा - जमपुर

वादीगण

प्रतिवादीगण

समस्त वार्ड गुर्रर विवासी विद्या तहलील शाहपुरा - जमपुर

दावा ब्यवह :- बटवारा एवं स्यामी विधेचाजा

मुकदमा नम्बर :- 48/2015 उन.द. 221/2016
निर्णय दिनांक :- 13-7-2017

दावा मुताबिक बटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के अनुसार अस्तित्व डिफ्री किता जाता है कि डा. ख. न. 247/0-07, 248/0-09, 249/0-78 के वार्ड गाम विद्या तहशाहपुरा जमपुर के मन्दावन के मन्दावन विद्या तहशाहपुरा किता जाता है उसे पृथक 2 इन्वॉइटर का बटवारा जोड़ित किया जाता है।
(1) मरी ख. न. के बटवारे में डा. ख. न. 248/1/0-2000, 249/1/0-54 कुल किता 2 रुकवा 0-9154 किता रहेगा।
(2) पुत्रिजदी ख. न. 1 लगा. 11 का नाम बटवारा उनके किता में स्यामी मनि स्यामी. 12 के गाम बटवारे में डा. ख. न. 247/0-07, 248/2/0-08, 249/2/0-0741 के कुल किता रुकवा 0-2246 के स्यामी रिपोर्ट बटवारा व नमशा इस किता किता कुल रहेगा तदनुसार तदनुसार किता में अमल दशापद किता जावे।

(रवि विजय)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत,
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), शाहपुरा (जयपुर) (राज.)

वाद के खर्च

वादी	रकम	प्रतिवादी	रकम
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्रीटर की फीस	
4 _____ रुपये पर प्रीटर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तारीख	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तारीख			
जोड़		जोड़	

13-6-17

पक्षपाथन को स्थानी विवेचना से पावन किया
है कि वे बटवारा अनुसार एक दुसरे के कले करके
किसी प्रकार की मजामत वेदा नही करे।

खर्च पक्षपाथन अपना - 2 बरुन करेगे।

यंश आजतारीख/3-7-2017 को मेरे कस्बे से
नी रुजा लगाकर रीमाई।

सहायक कलक
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला

